11.09.17

परिवादी द्वारा अधि. श्री ए.के. श्रीवास्तव उपस्थित।

आरोपी गीता सहित अधि. श्री सुरेश गुर्जर उपस्थित।

वकील पत्र प्रस्तुत आरोपी की ओर से आवेदन धारा 44(2) जा.फो. पेश। प्रकरण के अवलोकन पश्चात प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

आरोपी की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फो. पेश। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी। आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण में आरोपी दिनांक 24.05.17 से अनुपस्थित है। आज वह स्वयं उपस्थित हुई है। आरोपी की ओर से आवेदन में निवेदन किया है कि उसकी तबीयत अत्यधिक खराब हो गयी थी इसलिए वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी। अतः उसे जमानत पर छोडा जावे।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य समाप्त घोषित की जा चुकी है। प्रकरण पांच वर्ष पुराना है। आरोपी महिला है। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदन विचार उपरांत इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी के पूर्व जप्त मुचलका में से धारा 446 जा.फो. के तहत 1000 रुपए जप्त किए जाते हैं शेष राशि वसूली से मुक्त की जाती है तथा प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहने के लिए 15000 रुपए की नवीन जमानत एवं समान राशि का मुचलका पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण अभियुक्त परीक्षण हेतु आज ही पुनः 4 बजे पेश हो।

> वीरेन्द्र सिंह राजपूत अपर सत्र न्यायाधीश गोहद